



न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल म०प्र० ग्वालियर म०प्र०, कैम्प रीवा, म०प्र०



109  
19.201

141  
14-5-15

हाजी बरकत शाह मुतक वारिस पुत्र, निगरानी 1693-11-15

1- सुहेब शाह व दोनों के पिता स्व. श्री हाजी बरकत शाह, निवासी माँहल्ला

2- फुवैल शाह व अमहिया रीवा, तहसील हुजूर, जिलारीवा, म०प्र०

निगरानीकर्ता

बनाम

तहसीलदार तहसील हुजूर, जिलारीवा म०प्र० गैर निगरानीकर्ता

निगरानी विरुद्ध आदेश अपर कलेक्टर जिलारीवा

के प्रकरण क्रमांक 241-बी/121/14-15 में पारित

आदेश दिनांक 06.04.15, अन्तर्गत धारा 50

भू राजस्व संहिता 1959ई. 1

श्री नवीन कुमार सिंह  
द्वारा आज दिनांक 14.5.15  
प्रस्तुत किया गया

क्रमांक 5426 सर्टिफिकेट रीवा

रजिस्टर्ड पोस्ट आज  
दिनांक प्राप्ति  
मान्यवर,

राजस्व ग्वालियर

निगरानी के आधार निम्न है :-

1:- यह कि विद्वान कनिष्ठ न्यायालय के आदेश विधि एवं प्रक्रिया के विपरीत होने से अपास्त किये जाने योग्य है ।

2:- यह कि विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने माननीय न्यायालय के प्रकरण क्रमांक 173/11/12 में पारित आदेश दिनांक 15.10.13 का पालन न कर अपने से कनिष्ठ न्यायालय के आदेश की अवहेलना की है, जो अवमानना की श्रेणी में आता है, इसलिये उनका आदेश स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है ।

3:- यह कि तर्क के लिये मान भी लिया जाय कि प्रकरण विद्वान अपर कलेक्टर महोदय के क्षेत्राधिकार में नहीं था, तो उन्हें तत्काल न्यायालय में प्रस्तुत करने हेतु


M

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर  
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

मामला क्र०-R.1693-II/15

जिला-रीवा

हाजी बरकत शाह/तहसीलदार हुजूर

(1)	(2)	(3)
25.04.17	<ol style="list-style-type: none"><li>1. प्रकरण प्रस्तुत।</li><li>2. आवेदक तथा उनके अधिवक्ता की पुकार करायी गयी किन्तु सूचना उपरांत उपस्थित नहीं है।</li><li>3. चूकि आवेदक तथा अभिभाषक सूचना उपरांत उपस्थित नहीं है। अतः संहिता की धारा-35(2) के तहत प्रकरण अदम पैरवी में खारिज किया जाता है।</li><li>4. आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भेजा जावे, तत्पश्चात प्रकरण पंजी से समाप्त होकर दा.द. हो।</li></ol> <p style="text-align: right;"> सदस्य</p>	